भारत सरकार / **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय / **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड/ **RAILWAY BOARD**)
***

No. 2001/RS(G)/779/7 **New Delhi, dated:** 7/12/2016

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RWP/Bela

Sub: Vendor Approval/Registration for Safety and Vital Items
Ref: (i) Railway Board's letter No. 99/RS(IC)/165/SRC Pt. 1 dated 12.01.2016.
(ii) Railway Board's letter No. 99/RS(G)/709/1 dated 06.09.1999 and 16.09.1999
(iii) Railway Board's letter No. 99/RS(G)/709/1 dated 18.11.2016

1.0 RDSO has been registering/approving vendors for various safety /vital items. The issue of decentralization of this function has been deliberated by Board in the light of final recommendations of the "One Man (Sreedharan) Committee report". Based on the decision of Hon'ble MR there-upon, it has now been decided that henceforth, vendor assessment and approval for various safety/vital items hereto done by RDSO will be done by following agencies:

DLW : All EMD diesel loco items

DMW: All Alco diesel loco items

CLW : All electric loco items

ICF : All EMU and non-LHB coach items

RCF : All LHB coach items

RDSO: All S&T, TRD, Wagon and Track/Engg. Deptt. Items

2.0 Next Vendor directory, when due, shall be issued by respective Production Units/RDSO accordingly.

3.0 It is clarified that the terms "**Approved and Registered** " as mentioned in para 3.6 of Railway Boards' letter referred at (iii) above, are applicable only in the context of firms approved /registered by above nominated agencies.

This is issued in supersession to all earlier instructions issued in the subject matter.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores (G)-I
Railway Board

No. 2001/RS(G)/779/7 New Delhi, dated : 7 .12.2016

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No. 2001/RS(G)/779/7 New Delhi, dated : 7 .12.2016

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2001/RS(G)/779/7 New Delhi, dated : 7 .12.2016

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to: Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(S), MOS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T),DG(Personnel),DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
****

सं. 2001/आरएस(जी)/779/7 **नई दिल्ली, दिनांक 07/12/2016**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला

विषय: संरक्षा और महत्वपूर्ण मदों के लिए वेंडर का अनुमोदन/रजिस्ट्रेशन
संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.01.2016 का पत्र सं. 99/आरएस(आईसी)/165/एसआरसी पार्ट 1
(ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 06.09.1999 और 16.09.1999 का पत्र सं. 99/आरएस(जी)/709/1
(iii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 18.11.2016 का पत्र सं. 99/आरएस(जी)/709/1

1.0 अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, विभिन्न संरक्षा/महत्वपूर्ण मदों के लिए वेंडरों का रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन करता है। "वन मैन (श्रीधरन) कमेटी रिपोर्ट" की अंतिम सिफारिशों के प्रकाश में बोर्ड द्वारा इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने पर विचार किया गया है। इस पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्णय के आधार पर अब यह विनिश्चय किया गया है कि आगे से, वेंडरों का आकलन करने और विभिन्न संरक्षा/महत्वपूर्ण मदों को अनुमोदित करने का कार्य, जो अब तक अ.अ.मा.सं. द्वारा किया जाता था, अब निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा:

डी.रे.का	**: सभी ईएमडी डीज़ल रेल इंजन की मदें**
डीएमडब्ल्यू	**: सभी अल्को डीज़ल रेल इंजन की मदें**
चि.रे.का	**: सभी बिजली रेल इंजन की मदें**
स.डि.का	**: सभी ईएमयू और नॉन-एलएचबी कोच की मदें**
आरसीएफ	**: सभी एलएचबी कोच की मदें**
अ.अ.मा.सं.	**: सभी एसएंडटी, टीआरडी, वैगन तथा ट्रैक/इंजीनियरी विभाग संबंधी मदें**

2.0 तदनुसार, अगली वेंडर निर्देशिका, जब जारी की जानी अपेक्षित होगी, सबंधित उत्पादन इकाइयों/अ.अ.मा.सं. द्वारा जारी की जाएगी।

3.0 यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर (iii) में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पत्र के पैरा 3.6 में यथा उल्लिखित **"अनुमोदन और रजिस्ट्रेशन"** शब्द केवल ऊपर नामित एजेंसियों द्वारा अनुमोदन/रजिस्ट्रेशन के लिए ही लागू है।

इसे उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए पहले के सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

अशोक

सन्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2001/आरएस(जी)/779/7 नई दिल्ली, दिनांक 07/12/2016

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू।
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2001/आरएस(जी)/779/7 नई दिल्ली, दिनांक 07/12/2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक

क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद।

ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।

ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक

घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।

ङ) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।

च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।

3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर।

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2001/आरएस(जी)/779/7 नई दिल्ली, दिनांक 07/12/2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 248 एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः-

सीनियर पीपीएस/पीपीएस/पीएस:

1. रेलमंत्री, रेल राज्य मंत्री(एस), रेल राज्य मंत्री(जी), .
2. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य कर्षण, सदस्य चल स्टॉक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक (आरएस), महानिदेशक (एसएंडटी), महानिदेशक (कार्मिक), महानिदेशक (आरएचएस), महानिदेशक(आरपीएफ).
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य, सलाहकार एवं कार्यापालक निदेशक.